न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक • /2018 निगरानी

निगरानी – 4637/2018/टीकमगढ़/भू0रा0

1– दीन दयाल साहू, आयु– 67 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
2– प्यारे लाल साहू, आयु– 62 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
3– सियाराम साहू, आयु– 59 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
4– लक्ष्मी प्रसाद साहू, आयु–56 वर्ष, व्यवसाय– शासकीय सेवक
5– धनीराम साहू, आयु– 52 वर्ष, व्यवसाय कृषि पुत्रगण स्व0 श्री पंचम लाल साहू
6– शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राजाराम साहू आयु–35 वर्ष, व्यवसाय– दुकानदारी
7– अमन साहू पुत्र स्व0 श्री पुरूषोत्तम दास आयु– 20 वर्ष, व्यवसाय– अध्ययन

समस्त निवासीगण– तरीचर कलॉ, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ, म0प्र0

......................आवेदकगण

S.K.Khare
(S.K.Khare)
Adv

श्री एस0 के0 खरे अभि0 द्वारा आज दि0 27-7-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-8-18 नियत।

लिपिक 27-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– जसरथ पुत्र श्री भजन लाल कुर्मी आयु– 65 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
2– कुन्दन पुत्र श्री भजन लाल कुर्मी आयु– 60 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
3– श्रीमती हीरा देवी पत्नि श्री बालकिशन पटैल आयु– 55 वर्ष, व्यवसाय– गृहकार्य

समस्त निवासीगण– तरीचर कलॉ, तहसील निवाडी जिला टीकमगढ, म0प्र0

...............अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्ध आदेश दिनांक 18/07/2018 पारित द्वारा नायब तहसीलदार महोदय, तरीचर कलॉ, तहसील निवाडी ज़िला टीकमगढ, म0प्र0 जो प्रकरण कमांक 48/अ–27/वर्ष 2015–16 में पारित कर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत पृथक से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, स्वीकार कर भूमि खसरा क0 1968 ग्राम तरीचर कलॉ का बॅटवारा निरस्त कर भूमि खसरा क0 1968 को पूर्ववत दर्ज करने का आदेश पारित किया है। आदेश दिनांक 18/07/2018 की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ संलग्न की ... [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्र.क्र.निग0 4637/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

दीन दयाल साहू आदि विरूद्ध जसरथ कुर्मी आदि

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–09–18	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण में दिनांक 28.08.2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के. खरे व अनावेदक 01 की ओर से अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी को कायमी के तर्क पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने नायब तहसीलदार के प्र0क्र0 48/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार तरीचर कलॉ, तहसील निवाड़ी के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने अपने आदेश दिनांक 13.06.2001 से निरस्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः बटवारे के आदेश दिये थे । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को आयुक्त सागर संभाग, सागर ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2003 एवं राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2005 में यथावत रखा है। 4/ प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार निवाड़ी ने कार्यवाही करते हुये अपने अंतरिम आदेश दिनांक 18.07.18 से प्रकरण में पूर्व की स्थिति कायम करने एवं उभयपक्ष की	

2/2	उपस्थिति में पुनः फर्द तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। तहसीलदार द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के क्रम में कार्यवाही की गई है, जिसमें त्रुटि प्रकट नहीं होती है। 5/ अतएव दर्शित परिस्थितियों में निगरानी आधारहीन होने से आग्राह्य की जाती है। 20/9/18 (आर.के. जैन) सदस्य	